

# बरकतउल्ला विश्वविद्यालय होशंगाबाद रोड, भोपाल

क्रमांक १६२ / अकादमी(पात्रता) / 2020।

भोपाल, दिनांक ७/८/२०२१

## अधिसूचना

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी प्रवेश संबंधी मार्ग दर्शक सिद्धांत ( 2021-22 ) के साथ-साथ पात्रता संबंधी शर्तों/निर्देशों के अनुसार ही छात्रों को प्रवेश देवें। पात्रता संबंधी सामान्य निर्देश निम्नानुसार है एवं पात्रता आवेदन पत्र वेबसाइट [www.bubhopal.ac.in](http://www.bubhopal.ac.in) पर उपलब्ध है।

नोट:- इस अधिसूचना में लिखित निर्देशों में तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता 'विरोधाभास' पाये जाने पर अथवा किसी बिन्दु के इन्टरप्रेटेशन की आवश्यकता की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश मान्य होंगे एवं विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

( A ) i पात्रता प्रमाण पत्र शुल्कः-

स.क्रमांक	पत्रता आवेदन पत्र जमा करने की तिथियों का विवरण	सामान्य रूपये	शुल्क	विलम्ब शुल्क रूपये	कुल राशि रूपये
01	प्रावधिक प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक	300	—	—	300
02	प्रावधिक प्रवेश की अंतिम तिथि से 30 दिनों तक	300	300	600	600
03	प्रावधिक प्रवेश की अंतिम तिथि से 45 दिनों तक	300	600	900	900
04	प्रावधिक प्रवेश की अंतिम तिथि से परीक्षा प्रारम्भ होने तक	300	1000	—	1300

- ii पात्रता प्रमाण पत्र के ऑन लाईन आवेदन करने के पश्चात हार्ड कॉपी के साथ मूल प्रमाण पत्रों को पात्रता शाखा में 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा सत्यापन पश्चात ही पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।
- iii उक्त बिन्दु में उल्लेखित समयावधि में अभिलेख ( हार्ड कॉपी ) प्रस्तुत ना करने की स्थिति में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि पर वर्तमान राशि अतिरिक्त देय होगी।
- iv पात्रता आवेदन फार्म में किसी प्रकार की आपत्ती होती है, तो उसे 30 दिवस के अन्दर आपत्ती की पूर्ति कर दी जावे अन्यथा पात्रता आवेदन निरस्त माना जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेह महाविद्यालय की होगी।

(B) i 10+2 का तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित या अन्य राज्यों के विद्यालयों की इन्टर मीडियट बोर्ड या 12वीं बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है।

स्पस्टीकरण:- मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक जिन्होंने मध्यप्रदेश राज्य से सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. / एम.पी.बोर्ड से मुक्त बोर्ड(Open Board) एम.पी.बोर्ड / पोर्टल पर प्रदर्शित मान्य बोर्ड से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के लिये किसी भी विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य राज्यों से 12वीं उत्तीर्ण (10+2) विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ii मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मध्यप्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

iii समस्त विद्यार्थी बिन्दु क्रमांक ( C ) में उल्लेखित निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अपनी पात्रता सुनिश्चित करे, यदि उपरोक्तानुसार छूट प्राप्त विद्यार्थी के प्रवेश उपरान्त पात्रता संबंधी कोई त्रुटि/विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में समस्त दायित्व विद्यार्थी का स्वयं का होगा तथा विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

iv उक्त विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य समस्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को समस्त पाठ्यक्रमों में पात्रता प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। उच्च शिक्षा विभाग की ई-प्रवेश प्रक्रिया के पोर्टल से सम्बद्ध होने वाले देश की किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल से समकक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त कर विवि में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

v आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र कं. 352/243/आउशि/शा-5 अ/2019 , भोपाल दिनांक 13.06.2019 के अनुक्रम में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास उनके स्वम के नाम का जाति प्रमाण पत्र न

होने कीस्थिति में आवेदक के पिता के नाम पर जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र को मान्य किया है। एवं डिजिटल जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पूर्व का वैध प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।

- vi. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय जैसे लेबोस्ट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस क्लीनिकल बॉयोकेमेस्ट्री माइक्रोबॉयोलाजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिटिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि समिलित है। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियोंको विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऑनलाईन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किये गए ऑनलाईन आवेदन की पावती अपलोड करना आवश्यक होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र को अंतिम माना जायगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता के परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आवटन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।

(C) पात्रता प्रमाण पत्र छूट संबंधी सामान्य निर्देश:-

1. स्नातक प्रथम वर्ष 10+2 हेतु:- म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 547/2484/सीसी/2018 भोपाल दिनांक 06/06/2018 के अनुसार महाविद्यालयों एवं उत्कृष्ट महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न आनर्स पाठ्यक्रमों यथा-बी.ए., जाति/अनु.जनजाति/दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

2. बी.ए.एल.एल.बी., बी.कॉम.एल.एल.बी., एवं एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु:- क्रमशः हायर सेकेण्ड्री ( 10+2 ) एवं स्नातक अहतादायी परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिये 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये 40 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिये 42 प्रतिशत अंक अनिवार्य है तथा वार कांउसिल के निर्णयानुसार निर्धारित पात्रता लागू होगी।

एल.एल.बी. पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु:- क्रमशः हायर सेकेण्ड्री ( 10+2 ) एवं पूर्व ग्यारहवीं परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिये 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये 40 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिये 42 प्रतिशत अंक अनिवार्य है तथा वार कांउसिल के निर्णयानुसार निर्धारित पात्रता लागू होगी।

3. एल.एल.एम. प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु:- एल.एल.बी. में 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे। (न्यायालयीन निर्णयों के अनुसार 54.5 प्रतिशत अंक प्राप्त विद्यार्थी भी पात्र होंगे) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्राप्तांकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी।

4. बी.बी.ए. एवं बी.पी.ई.एस. में प्रवेशित हेतु:- हायर सेकेण्ड्री ( 10+2 ) तथा बी.लिब. में प्रवेश हेतु:- स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

5. म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से पूर्व में हायर सेकेण्ड्री (ग्यारहवीं) परीक्षा से उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. एम.सी.एम./पी.जी.डी.सी.ए./एम.ए. सोशल वर्क एवं बी.सी.ए., पाठ्यक्रम में प्रवेश :-

(अ) एम.सी.एम./पी.जी.डी.सी.ए./एम.ए. सोशल वर्क:- में प्रवेश हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ब) बी.सी.ए.:— म०प्र० शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 667/175/सी.सी./18/38 दिनांक 10/07/2018 द्वारा हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा किसी भी संकाय में (कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं जीव विज्ञान) गणित विषय के साथ एवं न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे। गणित विषय मुख्य व अतिरिक्त विषय के रूप में दर्ज हो।

7. जिन विद्यार्थियों ने पूर्व प्रचलित हायर सेकेण्ड्री, ( 10+2+3 ) के अंतर्गत स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो वे स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए मान्य होंगे।

8. अंकों के प्रतिशत में छूट एवं आयु संबंधी नियम तथा अन्य नियम भी मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग एवं नियामक संस्थाओं के नियमानुसार ही मान्य होंगे। म०प्र० शासन उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त सत्र 2021-22 में स्नातक/स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा तथा अंकों की छूट संबंधी नियम लागू होंगे।

- 9 पी-एच.डी. पाठ्यक्रम :— पी-एच.डी. के संबंध में अध्यादेश 11 में उल्लेखित प्रावधानों के नियम लागू होंगे। विसंगति की दशा में संबंधित संकायाध्यक्षों अथवा अध्यक्ष अध्ययन मण्डलों का अभिमत मान्य होगा।
- 10 मध्यप्रदेश संस्कृत की उत्तर मध्यमा परीक्षा को हायरसेकेण्ट्री परीक्षा के समकक्ष माना जाये, स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
- 11 आई.टी.आई. उत्तीर्ण आवेदक 12वीं ( 10+2 ) समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
- 12 यूजी./पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।
- 13 स्नातक स्तर हेतु :— 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगी।

स.क्र.	10+2 अर्हकारी परीक्षा	स्नातक कक्षा में प्रवेश
1	विज्ञान	विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय/वाणिज्य संकाय/कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए. (गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
2	वाणिज्य	वाणिज्य संकाय/कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए. (गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
3	कला	कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए. (गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
4	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान संकाय/ कला संकाय
5	कृषि	कला संकाय/बी.एस.सी. (जीव विज्ञान समूह) ( जीव विज्ञान समूह के एलाइड विषयों जैसे—माईक्रोवायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी आदि विषय ) म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कं. 394 /73 /सी.सी./2017 दिनांक 03 /05 /2018 के अनुसार
6	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	कला संकाय/वाणिज्य संकाय/विज्ञान संकाय/गृह विज्ञान संकाय/अंक सूची में दर्शित विषयों के अनुसार ।

- 14 स्नातकोत्तर स्तर हेतु:- स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एम.ए./एम.कॉम./एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी।

स.क्र.	कक्षा	अर्हकारी परीक्षा
1	एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर	बी.कॉम./बी.बी.ए./बी.ए.मैनेजमेंट (अध्यक्ष अध्ययन मण्डल, वाणिज्य एवं विद्या परिषद् सदस्य द्वारा स्वीकृत)
2	एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर	बी.एस.सी. संबंधित विषय
3	एम.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम सेमेस्टर	बी.एस.सी. (गृहविज्ञान)
4	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण
5	एम.एस. डब्ल्यू	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण (पात्रता हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत आवश्यक)

- 15 स्नातक स्तर में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण आवंदकों की मूल अंकसूची के अभाव में इन्टरनेट की डाउनलोड की गई स्वप्रमाणित अंक सूची मान्य होगी, ऐसे छात्र-छात्राओं को प्रावधिक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

( D ) I पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश— विद्यार्थियों के लिये:-

- 1 पात्रता प्रवेश पूर्व की प्रक्रिया है अतः विद्यार्थी यह सुनिश्चित कर लें, कि प्रवेश से पूर्व किस पाठ्यक्रम में प्रवेश चाह रहे हैं, तथा नियमानुसार पात्रता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 2 बाह्य प्रदेशों के संबंधित सभी छात्रों को निर्धारित शुल्क के साथ नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र पर पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है तो संबंधित छात्र/छात्राओं को परीक्षा से वंचित भी किया जा सकता है।
- 3 पात्रता आवेदन पत्र के साथ संबंधित समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति लगाना अनिवार्य है जो कि संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है।
- 4 अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर के प्रथम-द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अगली कक्षा में पात्रता तभी दी जावेगी जब उनके पाठ्यक्रम इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के समकक्ष होंगे। यदि पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत से अधिक भिन्नता पाई जाती है तो प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

( D ) **JCT** पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश— प्राचार्यों/सचालकों/निर्देशकों के लिये—

- 1 प्रवेश पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संस्था को संबंधित पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त है। संबद्धता प्राप्त की प्रत्याशा में दिये गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे।
- 2 प्रवेश उत्तरी सीटों पर ही दें, जितनी सीटें विश्वविद्यालय द्वारा अथवा केन्द्रीय नियामक संस्था द्वारा निर्धारित की गई हैं।
- 3 यू.जी.सी. द्वारा जिन विश्वविद्यालय को फर्जी एवं अमान्य घोषित कर दिया गया हैं उन विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश नहीं दिये जायें तथा ऐसे फर्जी एवं अमान्य विश्वविद्यालयों की सूची संबंधित संस्थान के निर्देशक/महाविद्यालय के प्राचार्य यू.जी.सी. की वेबसाइट से डाउनलोड करें।
- 4 अमान्य बोर्ड/शिक्षा मण्डल एवं वि.वि. से उत्तीर्ण छात्र—छात्राओं को प्रवेश देने पर संबंधित महाविद्यालयके प्राचार्यों/विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी। अमान्य बोर्ड/शिक्षा मण्डल एवं वि.वि. से उत्तीर्ण ऐसे छात्र—छात्राओं के प्रवेश/परीक्षा परिणाम निरस्त करने का अधिकार वि.वि. को होगा।
- 5 विद्यापरिषद की रथाई समिति की बैठक दिनांक 04.01.2014 के द्वारा निर्णय लिया गया है कि ATKT प्राप्त विद्यार्थियों को अन्य किसी महाविद्यालय में स्थानांतरण नहीं किया जाये अन्यथा प्रवेश देने वाले महाविद्यालय के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 6 म०प्र० शासन उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त सत्र 2021–22 में स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के पूरक नियमों की पात्रता के अनुसार स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
- 7 जिन छात्र/छात्राओं को शासन के किसी सामान्य नियमों के तहत अंकों में या सीटों में छूट/आरक्षण का लाभ दिया जाता है, तो उसका महाविद्यालय/संस्थान द्वारा उल्लेख करना सुनिश्चित किया जावे।
- 8 महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों की सूची प्रवेश की अंतिम तिथि के उपरांत 15 दिन की समयावधि में विश्वविद्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

( E ) स्नातक स्तर पर नियमित/स्वाध्यारी प्रवेश हेतु पात्रता—

1. अ विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय में प्रवेश के अतिरिक्त वाणिज्य संकाय, कला संकाय एवं गृह—विज्ञान संकाय में भी प्रवेश की पात्रता होगी।  
ब वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।  
स वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को वाणिज्य संकाय के अतिरिक्त कला एवं गृह—विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।  
द कला संकाय के विद्यार्थियों को कला संकाय के अतिरिक्त गृह—विज्ञान संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।  
इ गृह—विज्ञान संकाय में हायरसेकेण्ट्री (10+2) परीक्षा गृह विज्ञान से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के अतिरिक्त विज्ञान, वाणिज्य, कला संकाय तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी प्रवेश की पात्रता होगी।  
2. अ बी.एस.सी. प्रवेश हेतु पात्रता :—हायर सेकेण्ट्री ( 10+2 ) परीक्षा में बायोलॉजी समूह लेने वाले छात्रों को केवल बायोलॉजी समूह में प्रवेश की पात्रता होगी।  
ब हायर सेकेण्ट्री ( 10+2 ) परीक्षा में गणित समूह लेने वाले छात्रों को केवल गणित समूह में प्रवेश की पात्रता होगी।  
स माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम हायर सेकेण्ट्री ( 10+2 ) में विज्ञान से मिलते—जुलते विषय तथा लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालेसिस, क्लीनिकल बॉयो केमेस्ट्री तथा माईको बायलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम विषय लेकर उत्तीर्ण छात्रों को बी.एस.सी. भाग—1 बायोलॉजी ग्रुप में प्रवेश की पात्रता है।  
द हायर सेकेण्ट्री ( 10+2 ) कृषि समूह वाले छात्रों को बी.एस.सी. भाग—1 बायोलॉजी समूह, मे एलाइड विषय जैसे माइकोबायलॉजी, बायोटैक, स्पेशल कन्जरवेशन, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, इन्डस्ट्रीयल केमिस्ट्री एवं शीड टैक्नोलॉजी, में प्रवेश की पात्रता है।  
इ 1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी./ बी.एस.सी. (ग्रह विज्ञान संकाय) मे एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले वर्ष/सेमेस्टर मे प्रवेश की पात्रता है किन्तु संबंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय—समूह मे आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो तो संबंधित परीक्षण के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

- 2 म0प्र0 राज्य के बाहर स्थित यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष अथवा द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा राज्य के अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से स्नातकोत्तर की प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषय/विषयों/विषय—समूह की अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने की स्थिति में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

( F )

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक 546/93/सीसी/2021/अड्डीस दिनांक 15/07/2021 राज्य शासन एतद द्वारा सत्र 2021–22 के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली की याचिका क्रमांक (सिविल) 276/12 मे पारित निर्णय दिनांक 31/12/2012 के परिपालन मे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) के पाठ्यक्रमों— बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., बी.एड.एम. एड., (एकीकृत तीन वर्षीय), बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड., बी.एल.एड. तथा बी.एड. (अंशकालीन— तीन वर्षीय), मे प्रवेश हेतु में ऑन लाईन प्रवेश समय सारणी तथा संबंधित एन. प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत लागू होंगे।

( G )

एम.बी.ए. के पाठ्यक्रम हेतु संचालक, तकनीकी शिक्षा (डी.टी.ई.) के प्रवेश नियम लागू होंगे।

क्रमांक १.६३/अकादमी ( पात्रता )/2021

प्रतिलिपि:-

- 1 सर्व संबंधितों को सूचनार्थ।
- 2 अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
- 3 विश्वविद्यालय से सबंद्ध समस्त शासकीय एवं निजि महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य वाही हेतु अग्रेसित।
- 4 उपकुलसचिव, गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
- 5 वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
- 6 कुलपति जी के निज सचिव के माध्यम से कुलपति जी की ओर सूचनार्थ।
- 7 कुलसचिव जी के निज सचिव के माध्यम से कुलसचिव जी की ओर सूचनार्थ।
- 8 निज नस्ती।

  
कुलसचिव  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल  
 भोपाल, दिनांक ०९/०८/२०२१

  
सहायक कुलसचिव ( अकादमी )  
 बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल